



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:21906

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 194 सन् 2026

ममता सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग), लखनऊ एवं 6 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आशीष रमन मिश्रा, पल्लवी द्विवेदी

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

सह 2 अन्य।

न्यायालय संख्या - 8

माननीय न्यायामूर्ति जसप्रीत सिंह

1. ये तीन याचिकाएँ जनहित में दायर की गई हैं, जिनमें सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने की माँग की गई है। आदर्श रूप से, तीनों याचिकाओं पर अलग-अलग निर्णय लिया जाना चाहिए था, लेकिन तथ्यों और न्यायालय द्वारा प्रस्तावित आदेश के मद्देनजर, यह उचित है कि तीनों याचिकाओं पर एक साथ निर्णय लिया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जनहित याचिका संख्या 194 सन् 2026 एवं जनहित याचिका संख्या 185 सन् 2026

2. ये दो याचिकाएं हेम सिंह की पत्नी ममता सिंह द्वारा बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील के हेसमापुर परगना के बिदाउरा गांव में स्थित गाटा संख्या 61 की सार्वजनिक उपयोगिता भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए दायर की गई हैं।

जनहित याचिका संख्या 205 सन् 2026

3. यह याचिका मोहम्मद इमरान अली, पुत्र मोहम्मद इब्राहिम द्वारा दिनांक 30.10.2023 और 10.11.2023 के आदेशों के अनुपालन की माँग करते हुए दायर की गई है ताकि बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील के हेसमापुर परगना के कदौनी गांव में स्थित प्लॉट संख्या 143 एम से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जा सके।

4. तीनों मामलों में विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिनमें एक समान आधार लिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई थी, जिस पर निर्णय लिया जा चुका है। हालाँकि, उक्त कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि वापसी के लिए एक आवेदन दायर किया गया है, जिस पर संबंधित अधिकारियों का ध्यान है और चूँकि आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई परमादेश याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

5. उपरोक्त दलीलों पर विचार करने और अभिलेख में उपस्थित सामग्री का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि राज्य प्राधिकरण अवैध अतिक्रमणों की बात से मना नहीं करते हैं। राज्य प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करके उपाय किए। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि चूँकि राज्य ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2006 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही का सहारा लेकर अतिक्रमण हटाने की पहल कर दी है, इसलिए आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कार्यवाही पहले से ही लंबित है।

6. उपरोक्त कारणों से, न्यायालय मामले की योग्यता पर कोई आदेश पारित करने या कोई याचिका निर्गम करने का प्रस्ताव नहीं करता है, क्योंकि कार्यवाही पहले से ही लंबित है। अतः, तीनों याचिकाओं में याचिकाकर्ता द्वारा माँगी गई सहायता के संबंध में, वह प्रदान नहीं की जा सकती है और न्यायिक कार्यवाही के लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, याचिकाओं का इस स्तर पर निपटारा किया जाता है।

7. अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस न्यायालय के समक्ष दायर तीनों जनहित याचिकाओं के संबंध में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि नागरिकों द्वारा बार-बार कई अन्य जनहित याचिकाएं दायर की जा रही हैं जिनमें सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत की गई है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। केवल जब इस न्यायालय द्वारा ऐसी रिट याचिकाओं पर ध्यान दिया जाता है, तभी राज्य प्राधिकरण तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में कार्यवाही शुरू करते हैं।

8. सार्वजनिक उपयोग की भूमि राज्य के स्वामित्व में है और वह इसे अपने नागरिकों के लिए धरोहर के रूप में रखती है। अतिक्रमण न हो, यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य तंत्र और उसके राजस्व अधिकारियों की ढिलाई के कारण ऐसे अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हो रहे हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, एक और परेशान करने वाला रुझान जो देखा गया है और इन तीनों याचिकाओं में आसानी से देखा जा सकता है, वह यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू होने पर, प्राधिकरण द्वारा यानी तहसीलदार कैसरगंज, जिला बहराइच द्वारा पारित किए गए आदेशों से संपूर्णतः और व्यापक रूप से दिमाग का प्रयोग न करने का मामला सामने आता है।

10. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तीनों मामलों में समान आदेश पारित किए गए हैं, हालाँकि अलग-अलग तिथियों पर, अर्थात् जनहित याचिका संख्या 194 सन् 2026 में और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 (1) के अंतर्गत बंश राज के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था, और वह इस प्रकार है:-

“

आदेश पत्रक

न्यायालय: तहसीलदार

मण्डल : देवीपाटन, जनपद : बहराइच, तहसील : कैसरगंज

वाद संख्या:-01894/2021

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या:-T202108150301894

गाँवसभा बेदौरा बनाम बंशराज

अंतर्गत धारा: 67 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006

गाँवसभा बेदौरा बनाम बंशराज

निर्णय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षतिपूर्ति रिपोर्ट पर प्रारम्भ हुई। नोटिस 49क निर्गत होकर वाद तामीला संलग्न पत्रावली है।

प्रतिवादी उपस्थिति नहीं आया। जिससे प्रतिवादी के अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए। आदेश हेतु पत्रावली नियत की गयी।

अतः निम्न दिया जाता है कि-

आदेश

ग्राम बेदौरा परगना हिसामपुर के गाटा सं0 61मि/0.008 हे० जो राजस्व अभिलेखों में निस्तबचनस्थल के रूप में अंकित है प्रतिवादी बंशराज पुत्र सियाराम ग्रामवासी द्वारा अनाधिकार अतिक्रमण करने के कारण बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति मु० 1720 रु० आयत की जाती है जो 15 रु० निष्पादन व्यय के वसूल हो। नोटिस 49ग जारी हो। पत्रावली बाद वसूली एवं बेदखली दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर / तहसीलदार,

कैसरगंज।

11-1-2023”

* * *

“

आदेश पत्रक

न्यायालय: तहसीलदार

मण्डल : देवीपाटन, जनपद बहराइच, तहसील कैसरगंज

वाद संख्या:-01897/2021

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कंप्यूटरीकृत वाद संख्या:-T202108150301897 गाँवसभा बेदौरा बनाम रूबीना बेगम

अंतर्गत धारा: 67 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006

गाँवसभा बेदौरा बनाम रूबीना बेगम

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षतिपूर्ति रिपोर्ट पर प्रारम्भ हुई। नोटिस 49क निर्गत होकर वाद तामीला संलग्न पत्रावली है।

प्रतिवादी उपस्थिति नहीं आया। जिससे प्रतिवादी के अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए। आदेश हेतु पत्रावली नियत की गयी।

अतः निम्नदिया जाता है कि-

आदेश

ग्राम बेदौरा परगना हिसामपुर के गाटा सं0 61मि/0.008 हे० जो राजस्व अभिलेखों में निस्तबचनस्थल के रूप में अंकित है प्रतिवादी बंशराज पुत्र सियाराम ग्रामवासी द्वारा अनाधिकार अतिक्रमण करने के कारण बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति मु० 1720 रु० आयत की जाती है जो 15 रु० निष्पादन व्यय के वसूल हो। नोटिस 49ग जारी हो। पत्रावली बाद वसूली एवं बेदखली दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर / तहसीलदार,

कैसरगंज।

13-2-2023”

* * *

आदेश पत्रक

न्यायालय: तहसीलदार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मण्डल : देवीपाटन, जनपद बहराइच, तहसील कैसरगंज

वाद संख्या:-05889/2020

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या:-T202008150305889 गाँवसभा कुडौनी बनाम लल्लू

अंतर्गत धारा: 67 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006

गाँवसभा बनाम लल्लू

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही क्षतिपूर्ति रिपोर्ट पर प्रारम्भ हुई। नोटिस आर० सी प्रपत्र 20 निर्गत होकर बाद तामीला संलग्न मिसिल है।

प्रतिवादी उपस्थिति नहीं आया प्रतिवादी के अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश हेतु पत्रावली नियत की गयी।

अतः निम्नदिया जाता है कि-

आदेश

ग्राम कुडौनी परगना हिसामपुर के गाटा सं० 143मि/0.006 हे० गाँवसभा की भूमि से प्रतिवादी लल्लू पुत्र मिश्रीलाल ग्रामवासी द्वारा अनाधिकार अतिक्रमण करने के कारण बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति मु० 9900.00/ रु० आयत की जाती है। जो 15/ निष्पादन व्यय के साथ वसूल हो। आर०सी० प्रपत्र 21 जारी हो। पत्रावली बेदखली व क्षतिपूर्ति वसूली के उपरान्त संग्रहीत हो।

(अजय कुमार यादव)

सहायक कले०/तहसीलदार कैसरगंज

30.10.2023”

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. उपरोक्त संदर्भित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश अत्यंत लापरवाही से पारित किए गए हैं। आदेश स्पष्ट रूप से अस्पष्ट हैं और उनमें कोई विचार या कारण नहीं दिया गया है, जिससे वे निरर्थक हो जाते हैं। इसके अलावा, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन भी है, जिसमें यह पहलू भी शामिल है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध पारित किसी भी आदेश में, जिसके नागरिक परिणाम होते हैं, कारण अवश्य शामिल होने चाहिए ताकि पीड़ित व्यक्ति को पता चल सके कि क्या निर्णय लिया गया है और उसके विरुद्ध यह निर्णय क्यों लिया गया है।

12. ऐसा नहीं है कि यह इन तीन लिखित पत्रों में ही प्रचलित है, बल्कि इस तरह के आदेश कई अन्य याचिकाओं में इस न्यायालय के संज्ञान में आए हैं, जिसने इस न्यायालय को इसका संज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया है।

13. यह भी ध्यान देने योग्य है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत पारित आदेश को अपील में और फिर संहिता 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण में या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

14. ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के आदेश पारित करने के पीछे एक निश्चित स्वरूप है। इस पर विचार करने पर न्यायालय पाता है कि इस प्रकार का आदेश पारित करने के कुछ ही संभावित कारण हो सकते हैं:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(i) या तो संबंधित अधिकारी को इस बात की कोई कल्पना नहीं है कि अर्ध-न्यायिक आदेश कैसे पारित किया जाना है, मुख्यतः यह जानते हुए कि ऐसे आदेश अपील योग्य हैं और पुनरीक्षण में आगे ले जाए जा सकते हैं और संवैधानिक न्यायालय के संज्ञान में भी लाए जा सकते हैं;

(ii) आदेश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकारी के नाम पर तैयार किए जाते हैं और अधिकारी बिना देखे और उचित विचार किए बिना, बल्कि अंधाधुंध ही, उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है, जो स्पष्ट रूप से कर्तव्य की पूर्ण अवहेलना के बराबर है क्योंकि ऐसा बहाना अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं है;

(iii) एक और कारण यह हो सकता है कि अधिकारी अतिक्रमणों को अनदेखा कर देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते। बाद में, जब किसी दबाव या बाध्यता के चलते कार्यवाही शुरू की जाती है और बाहरी लाभ के लिए अतिक्रमण करने वालों की मदद की जाती है, तब अधिकारी ऐसे अस्पष्ट आदेश पारित करते हैं। अधिकारी को स्पष्ट रूप से पता होता है कि ऐसे आदेश न्यायिक जाँच में खरे नहीं उतरेंगे। फिर भी, राज्य को प्रसन्न करने और यह दिखाने के लिए कि अधिकारी अपना कर्तव्य निभा रहा है, एक अवैध आदेश पारित किया जाता है, और दूसरी ओर प्रतिवादियों/ अतिक्रमणकर्ताओं को प्रसन्न करने के लिए, जिनसे शायद कोई बाहरी समझौता हो, ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं जो स्पष्ट रूप से राज्य के दावे को स्वीकार करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से अतिक्रमणकर्ता की मदद करने के समान होते हैं। ये आदेश स्पष्ट रूप से अवैध हैं, इसलिए अतिक्रमणकर्ता द्वारा जब भी वापसी के लिए आवेदन किया जाता है या अपील दायर की जाती है, तो यह पूरी निश्चितता है कि अपीलीय प्राधिकरण ऐसे आदेश को स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह मामला प्राधिकरण के समक्ष ही लंबा खिंच जाएगा यदि वह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वापसी के लिए आवेदन पर विचार करता है या अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष जहाँ अतिक्रमणकर्ता अंतरिम आदेश का हकदार होगा और इस प्रकार अवैध कब्जे को कायम रखेगा।

15. कारण चाहे जो भी हो, फिर भी यह अधिकारियों द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाही की एक भयावह प्रति पेश करता है, चाहे वह न्यायालयों में कामकाज का ढंग हो या आदेश पारित करने का। यह एक दुखद स्थिति है। हालाँकि यह कहा जा सकता है कि गलती की संभावना हो सकती है, लेकिन जब इस प्रकार के आदेश बार-बार इस न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं, तो यह केवल संयोग या गलती का मामला नहीं हो सकता, बल्कि यह स्पष्ट रूप से पूर्ण लापरवाही, कर्तव्य की उपेक्षा और संबंधित अधिकारी द्वारा विवेक का प्रयोग न करने को दर्शाता है।

16. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि याचिकाओं का निपटारा हो चुका है, लेकिन इस न्यायालय के समक्ष जनहित याचिकाएँ प्रस्तुत किए जाने के कारण, न्यायालय ने इस पहलू का स्वतः संज्ञान लिया है और तदनुसार प्रमुख सचिव राजस्व को इस मामले की जाँच करने और अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश देता है जिसमें यह बताया गया हो कि उन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जो उन पदों पर कार्यरत हैं जहाँ राजस्व अधिकारी अर्ध-न्यायिक कार्य कर रहे हैं। उन्हें यह भी बताना होगा कि बार-बार होने वाली ऐसी त्रुटियों और पारित आदेशों को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जिन्हें आदेश नहीं कहा जा सकता बल्कि वे कार्यवाही का उपहास करते हैं।

17. इस आदेश की एक प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग के सहायक सचिव के समक्ष भी रखी जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो न्यायालय उक्त सहायक सचिव से सुझाव मांगेगा कि इस समस्या का निवारण कैसे किया जा सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

18. इस उद्देश्य से, यह मामला अब 1 मई, 2026 को न्यायालय के समक्ष आएगा।

19. इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, राजस्व और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के सहायक सचिव (राजस्व) को भी भेजी जाएगी। इस आदेश की एक प्रति राजस्व मंडल के अध्यक्ष और जिलाधिकारी, बहराइच को भी भेजी जाएगी।

(न्यायामूर्ति जसप्रीत सिंह)

मार्च 26, 2026

अंक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।